

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-39/2024-
प्रेषक,

५५

व०प०, राँची, दिनांक- 03/01/2025

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

By email
To upload on
Parivesh

विषय :- CCL सेलेक्टेड ढोरी खुली खदान परियोजना में सन्निहित कुल-143.05 हे० के नवीकरण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/40575/2019) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-988 दिनांक-30.10.2024 एवं पत्रांक-1041 दिनांक-27.11.2024 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

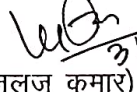
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) विषयक परियोजना से होने वाली क्षति तथा वन्यप्राणी संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना होगा।
- (iii) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर Soil & Moisture Conservation Plan तैयार कर इसे क्रियान्वित किया जाएगा।
- (iv) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


31/1/2025

(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

PART – V

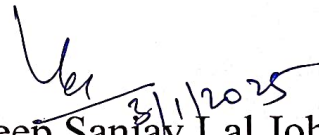
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion (Renewal) of 143.05 ha of Forest Land for Selected Dhorri Open Cast in favour of M/S CCL under Bokaro Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion (Renewal) of 143.05 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.-444.. dated-...03/01/2025


Rajdeep Sanjay Lal John

Special Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, झोरखंडा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 1041

दिनांक :- 27/11/2024

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार राँची।

विषय :-

सी0सी0एल0 सेलेक्टेड डोरी खुली खदान परियोजना में सन्निहित कुल रकवा 143.05 हे0 के नवीकरण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/40575/2019) के संबंध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्रांक 988 दिनांक 30.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक 988 दिनांक 30.10.2024 के कंडिका-21 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1226 दिनांक 26.11.2024 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


27/11/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


27-11

सचिव कोषांग

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं०6011.....

09 DEC 2024

झारखण्ड, राँची



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

वन भवन, डोरण्डा, राँची

Email : pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744



पत्रांक:—927(WL)P/ 2024-25-1226

दिनांक:— 26/11/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सह— कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:—

सी0सी0एल0 सेलेक्टेड ढोरी खुली खदान परियोजना में सन्निहित कुल रकवा 143.05 हे० के नवीकरण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/40575/2019) के सम्बन्ध में।

प्रसंग:—

आपका ज्ञापांक 988 दिनांक 30.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न कर भेजे गये प्रस्ताव की प्रति तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित टिप्पणियों एवं Site Inspection Report के आधार पर समीक्षोपरान्त अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य है कि—

अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के आस-पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वन्यप्राणी देखे जाते हैं एवं हाथियों का आवागमन भी है। उक्त परियोजना न केवल वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास क्षेत्र की सीमा को कम करेगा, बल्कि वन्यजीवों के आवागमन के लिये बाधा भी बनेगा।

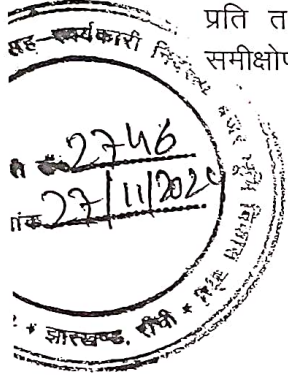
अतः उक्त अपयोजन परियोजनाओं से होने वाली क्षति तथा वन्यप्राणी संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड।

13/11/24 19/11/24





कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- ९४४

दिनांक :- 30/10/2024

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार राँची।

विषय :-

सी०सी०एल० सेलेक्टेड ढोरी खुली खदान परियोजना में सन्निहित कुल रकवा 143.05 हे० के नवीकरण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/40575/2019) के संबंध में।

प्रसंग :-

- मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 557 दिनांक 26.06.2024
- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 1907 दिनांक 18.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 557 दिनांक 26.06.2024 द्वारा सी०सी०एल० के सेलेक्टेड ढोरी खुली खदान परियोजना में सन्निहित कुल रकवा 143.05 हे० के नवीकरण हेतु वनभूमि अपयोजन (FP/JH/MIN/40575/2019) प्रस्ताव ऑनलाईन एवं उसकी हार्ड कॉपी प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव में कतिपय बिन्दुओं पर कमियाँ रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 669 दिनांक 25.07.2024 द्वारा पृच्छा की गयी, जिसका निराकरण, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1907 दिनांक 18.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

- यह परियोजना बोकारो वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
- अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं०	प्लॉट न०	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे० में)	अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि का रकवा (हे० में)
1	बोकारो वन	तुरियों	70	1(P)	72.29	72.29
				289(P)	2.50	2.50
2	प्रगंडल	तारमी	71	1(P)	21.65	21.65
3		गकोली	69	118(P)	17.61	17.61
				119(P)	29.00	29.00
कुल रकबा :-					143.05	143.05

- प्रस्तावित वनभूमि पूर्व से ही एक Broken Land है, जिसके लिए पूर्व में ही MoEF&CC, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.-8-122/90-FC दिनांक-01.07.1996 द्वारा M/s CCL को माईनिंग कार्य हेतु स्टेज-II प्राप्त है। इसके एवज में क्षतिपूरक वनरोपण के लिए प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन विभाग के पत्र संख्या-07E दिनांक 03.01.1997 के माध्यम से सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो गुमला वन प्रमंडल, गुमला, झारखण्ड के थाना-कुर्देग के अंतर्गत आता है। चूंकि वर्तमान प्रस्ताव एक नवीनीकरण प्रस्ताव (Proposal No.- FP/JH/MIN/40575/2019) है, इसलिए इस प्रस्ताव के लिए अलग से क्षतिपूरक वनरोपण प्रस्तावित नहीं किया गया है।

- वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 'यह already broken land है, इसलिए इसके Recommendation वाले पार्ट में Recommended लिखकर समर्पित किया गया है। Online Application की प्रति समर्पित की गयी है।'

23

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र Form-B (पार्ट-I) समर्पित किया गया है तथा अभियुक्ति दर्ज है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization पत्र संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Justification for locating सेलेक्टेड ठोरी खुली खदान परियोजना हेतु वनभूमि से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है।
8. प्रस्ताव के साथ प्राप्त भूमि विवरणी (Authenticated Land Schedule) संलग्न है।
9. प्रस्ताव के साथ प्राप्त मूल टोपो मैप 1:50000 स्केल पर अपयोजित होनेवाले भूमि को दर्शाते हुए संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Cost Benefit Analysis संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- EC/SEIAA/2022-23/2655/2022/364 दिनांक 30.01.2023 द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति संलग्न है।
12. वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत FRA Certificate जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है।
13. प्रस्ताव के साथ Approved Mining Plan संलग्न है।
14. इस परियोजना प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दिया गया है। अतः प्रस्ताव के साथ Rehabilitation & Re-settlement Plan संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
15. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Land use Plan (1:40000) संलग्न है।
16. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि का Preparation of Geo-referenced Boundary Map (in shape file) संलग्न है।
17. NPV एवं CA जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दिया गया है।
18. प्रस्ताव में परियोजना हेतु प्रस्तावित पातित होने वाली वृक्षों की कुल संख्या शून्य प्रतिवेदित है।
19. इस नवीकरण परियोजना से संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल का पार्ट-II, अनुशंसा सहित स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन एवं Specific recommendation संलग्न है।
20. परियोजना से संबंधित वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो द्वारा भरा हुआ पार्ट-III, स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। प्रश्नगत परियोजना में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan एवं Soil Conservation Plan हेतु अनुशंसा की गयी है।
21. प्रस्तावित परियोजना में CWLW का भन्तव्य अपेक्षित है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।
22. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य पार्ट-IV संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 143.05 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु सशर्त अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मंतव्य से सहमत हाते हुए विषयगत नवीकरण परियोजना हेतु कुल 143.05 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I की स्वीकृति के लिए लोकहित में मानक शर्तों पर अनुशंसा की जाती है।

अतः विषयगत परियोजना हेतु मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ अग्रतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त। (तीन प्रतियों में)

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-राह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची